अध्याय 7

स्वच्छ ऊर्जा उपकर

स्वच्छ ऊर्जा उपकर ।

82. (1) इस अध्याय का विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

(3) इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर जो भारत में उत्पादित माल है, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में, स्वच्छ ऊर्जा प्रारंभिक उपाय निधि अनुसंधान के वित्त-पोषण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए या उससे संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपकर नामक उपकर, उक्त अनुसूची में वर्णित दरों पर उत्पाद-शुल्क के रूप में उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन उद्‌गृहीत उपकर के आगमों को सर्वप्रथम भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा और केंद्रीय सरकार संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् उपकर की ऐसी धनराशियों को उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

(5) उपधारा (3) के अधीन उद्‌ग्रहणीय उपकर दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उद्‌ग्रहणीय किसी उपकर या शुल्क के अतिरिक्त होगा ।

(6) उपधारा (3) के अधीन उद्‌ग्रहणीय उपकर संघ के प्रयोजनों के लिए होगा और उसके आगमों को राज्यों के बीच वितरित नहीं किया जाएगा तथा उपकर के संबंध में निर्धारण, संग्रहण, उपयोजन की रीति और कोई अन्य विषय ऐसा होगा जो नियमों द्वारा विहित किया जाए ।

(7) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि उत्पाद-शुल्क के उद्‌ग्रहण और उससे छूट, प्रतिदाय, अपराध और शास्तियों, अधिहरण और अपराधों तथा अपीलों से संबंधित प्रक्रिया से संबंधित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के कोई उपबंध, ऐसे उपांतरणों और परिवर्तनों सहित, जो वह आवश्यक समझे, उपधारा (3) के अधीन उद्‌गृहीत उपकर की बाबत लागू होंगे । 1944 का 1

83. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी । नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे,—

(क) धारा 82 की उपधारा (6) के अधीन उपकर के निर्धारण, संग्रहण और उपयोग की रीति ; या

(ख) धारा 82 की उपधारा (6) के अधीन उपकर से संबंधित कोई अन्य विषय ।

(3) इस अध्याय के अधीन बनाया प्रत्येक नियम या जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा/रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए अथवा अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी । किन्तु उस नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस नियम या अधिसूचना के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।